संख्या- 60 /1616/24-1-14-1255/2008

प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 24 जुलाई, 2014

विषय:-वित्तीय वर्ष 2014-15 में पावरलूम बुनकरों को विद्वुत दरों में दी जाने वाली छूट की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-540/मप्र(वित्त)/विप्र-2/253/बजट/2014-15, दिनांक 14.07.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को वित्तीय वर्ष 2014-15 में पावरलूम बुनकरों को विद्वुत दरों में दी जाने वाली छूट की प्रतिपूर्ति हेतु सब्सिडी के रूप में धनराशि रूपये 120,00,00,000/- (रूपये एक सौ बीस करोड़ मात्र) का प्राविधान किया गया है। जिसके सापेक्ष धनराशि रूपये 40,00,00,000/- (रूपये चालीस करोड़ मात्र) की स्वीकृति शासनादेश संख्या-45/798/24-1-14-1255/2008, दिनांक 02.05.2014 द्वारा प्रदान की गयी थी। अब अवशेष धनराशि रूपये 80,00,00,000/- (रूपये अस्सी करोड़ मात्र) को आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृति धनराशि चार समान किश्तों में क्रमश: माह अगस्त, 2014, अक्टूबर, 2014, दिसम्बर, 2014 एवं फरवरी, 2015 में रूपये 20,00,00,000/- (रूपये बीस करोड़ मात्र) की प्रतिमाह की किश्तों में आहरित की जायेगी।

3- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस मद में पूर्व में स्वीकृत धनराशि व्यय कर ली गयी है तथा इसका प्रमाण-पत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

4- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42 जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

6- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

http://srasanadesh.up.nic.in

7- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक- "2801बिजली-05-संचरण एवं वितरण- 800-अन्य व्यय-08-पावरलूम बुनकरों को विद्वुत दरों में छूट की प्रतिपूर्ति- आयोजनेत्तर-27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

8- यह ओदश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0-121/दस-2014, दिनांक 24 जुलाई, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें।

भवदीय,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-60 /1616(1)/24-1-14, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, कोर-4, स्कोप काम्प्लेक्स, 7-लोधी रोड, नई दिल्ली-110003।
2- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर- एच, अलीगंज लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in